षोडश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{26 फाल्गुन, 1941 (श०)}}{\text{16 मार्च, 2020 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या **103**

(1)	गृह विभाग	..	..	65
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	10
(3)	गन्ना उद्योग विभाग	..	..	06
(4)	उद्योग विभाग	..	..	10
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	06
(6)	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	01
(7)	वित्त विभाग	..	..	01
(8)	निगरानी विभाग	..	..	01
(9)	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं नागरिक विमानन विभाग)	..	..	03
			कुल योग --	103

कोल्ड स्टोर का निर्माण

*1164. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड के किसान अपनी कड़ी मेहनत के बल पर फल-सब्जी का उत्पादन करते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण उनका उत्पादित सामग्री सड़-गल जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार सुप्पी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई लगाई जाती है तो उल्लेखित नीति के प्रावधान के तहत वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है ।

जिला सीतामढ़ी में कुल 16 इकाइयों को स्टेज-1 क्लियरेन्स दिया गया है । जिसमें मात्र 1 इकाई कोल्ड स्टोरेज इकाई की स्थापना से संबंधित है । 2 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स दिया गया है । जिसमें 1 इकाई कार्यरत हुयी है ।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*1165. श्री मोहम्मद नवाज आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के जिला समाहरणालय, आरा एवं आरा प्रखंड कार्यालय में 5 सहायकों का विगत चार वर्षों से स्थानान्तरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का नियमानुसार स्थानान्तरण कर इसका अनुपालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 भवन का निर्माण

*1166. श्री चंद्रशेखर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत सदर थाना मधेपुरा के चैलाढ़ ओ0 पी0 एवं भर्राही ओ0 पी0 का अपना भवन नहीं है और वह सिंचाई विभाग के वर्षों पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ओ0 पी0 का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

साक्षरता दर एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण

*1167. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 32 प्रतिशत है, लेकिन साक्षरता दर मात्र 10 प्रतिशत है एवं सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी मात्र 3 से 4 प्रतिशत है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इनकी साक्षरता दर बढ़ाकर सरकारी नौकरियों में निर्धारित आरक्षण प्रतिशत 18 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*1168. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के बसलगाँव पंचायत के बसलगाँव उत्क्रमित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्री मैट्रिक माइनोरिटी स्कॉलरशिप के लिये अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के आवेदन-पत्र का वेरिफिकेशन नहीं करने की वजह से सत्र 2017-18 और 2018-19 में योजना का लाभ एक भी छात्र को नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करते हुये उक्त सत्रों की छात्रवृत्ति राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*1169. श्री शत्रुधन तिवारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत अमनौर प्रखंड के अरना कोठी में कानपुर सुगर वर्कर्स लिमिटेड का वर्षों से बन्द पड़ी चीनी मिल का लगभग 50 एकड़ भूमि बेकार पड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर गन्ना से एथनोल उत्पादन करने वाले उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रागार को खुलवाना

*1170. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, गाँधी आश्रम हाजीपुर में केन्द्रीय वस्त्रागार 2015 से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हाजीपुर केन्द्रीय वस्त्रागार के प्रबंधक रंगम कुमार वस्त्रागार से लगभग 50 लाख के कपड़े एवं रुपया लेकर फरार है, जिसके कारण सुतकर, बुनकर एवं कार्यकर्ता अबतक भूखमरी के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई कर केन्द्रीय वस्त्रागार खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वैशाली जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, गाँधी आश्रम, हाजीपुर एक संस्था है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग से निबंधित है । इस संस्थान पर नियंत्रण खादी और ग्रामोद्योग आयोग, शेखपुरा, पटना (भारत सरकार) का है ।

यह संस्था बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियंत्रणाधीन नहीं है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) अस्वीकारात्मक है ।

मुक्त कराना

*1171. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले के किशनगंज प्रखंड अन्तर्गत बरारो कब्रिस्तान की भूमि को सैरात मुक्त हेतु प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ को भेजे हुये साल भर से अधिक हो गया है, परन्तु अभीतक उक्त कब्रिस्तान की भूमि सैरात मुक्त नहीं होने के कारण इसकी घेराबंदी नहीं हो पा रही है, जबकि ये अतिसंवेदनशील कब्रिस्तान है, जहाँ पूर्व में कई बार विवाद हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार बरारो कब्रिस्तान की भूमि को सैरात मुक्त कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गुड गवर्नेंस को ठीक करना

*1172. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाई जानेवाली गुड गवर्नेंस दिवस पर वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है जिसमें 18 बड़े राज्यों वाली सूची में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, यदि हाँ, तो सरकार गुड गवर्नेंस को ठीक करने हेतु कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1173. डॉ0 राजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के डुमरिया उत्तरी मधुबनी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1174. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड अधीन अमारी कुकरौन कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1175. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अन्तर्गत पररी कब्रिस्तान एवं फकिला कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से आवारा पशु एवं जंगली सुअर द्वारा कब्र को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घटना की जाँच

*1176. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया थाना कांड संख्या 96/18 में अंचलाधिकारी, बैरिया द्वारा अतिक्रमण वाद मामले में धोखा-धड़ी करते हुये एक ही पत्रांक 208, दिनांक 20 मार्च, 2018 से दो आवेदन प्राथमिकी हेतु बैरिया थानाध्यक्ष को दिया गया था जिसके पहले आवेदन में नामजद अभियुक्तों की संख्या बीस तथा दूसरे आवेदन में नामजद अभियुक्तों की संख्या पन्द्रह दर्शायी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना में दूसरे आवेदन पर बैरिया थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी कांड संख्या 96/18 दर्ज की गई जिसमें अधिकांशतः निर्दोष व्यक्तियों को अभियुक्तों के नाम के साथ जोड़ दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घटना की जाँच कराकर तत्कालीन अंचलाधिकारी, बैरिया के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1177. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के रुपौली ग्राम में स्थित महारानी स्थान का प्रांगण कच्ची है एवं चहारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महारानी स्थान के प्रांगण में पी0सी0सी0 ढलाई करने एवं चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सहायता प्रदान करना

*1178. श्री अशोक कुमार (132)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड के सिवैसिंगपुर ग्राम में वर्ष 2014 में भयंकर अग्नि कांड में पच्चास से अधिक घर तथा पाँच घरेलू कालीन उद्योग जलकर खाक हो गये ;

(2) क्या यह बात सही है कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर लोगों का सबकुछ अग्नि की भेंट चढ़ गया, कालीन बनाने के कच्चे सामान, मशीन के साथ उसपर लगे कालीन और तैयार कालीन जलकर खत्म हो गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे परिवारों के पुनर्वास के साथ घरेलू उद्योग के दुबारा शुरू कराने के लिये हर प्रकार के सहायता प्रदान करते हुये इन्हें पुनः अपने पैरों पर खड़ा करा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1179. श्री (मो0) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के सदभौली पंचायत के वार्ड नम्बर 7 एवं बनौली पंचायत के वार्ड नम्बर 7 में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1180. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के कटोरिया प्रखंड अन्तर्गत लकरमा पंचायत के असनाहा गाँव एवं बोसी प्रखंड अन्तर्गत सांगा पंचायत के बीरनिया गाँव में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय स्तर पर वर्णित गाँव में कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही स्थल निरीक्षण किया गया था, परन्तु विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण आजतक कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण हेतु डी0पी0आर0 नहीं बनाया गया है, जिसके कारण घेराबंदी का कार्य नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उदासीनता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये डी0पी0आर0 तैयार करवाकर वर्णित स्थानों पर चहारदीवारी निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था

*1181. श्री जफर आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषि एवं सलखुआ प्रखंड में अग्निशामक यंत्र नहीं होने के कारण आगलगी के समय सहरसा मुख्यालय से अग्निशामक यंत्र आने में समय लगता है जिसके कारण आगलगी में घर जल जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल की पुन:स्थापना

'क'-*1182. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में गन्ना की खेती होती है, परंतु लोहट चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण उसकी जमीन बियाडा को दिये जाने से किसान गन्ना की खेती बन्द करते जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसके निदान हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

CCTV कैमरा लगवाना

*1183. श्रीमती रंजु गीता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड में लूटपाट की घटना बढ़ती जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु बाजपट्टी प्रखंड सहित अन्य महतपूर्वण स्थानों पर CCTV कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1184. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत कोयल पंचायत के ग्राम-बैदी कोरी में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट स्थापित करना

*1185. श्री मनोज कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के उपहारा थाना से महद्वीपुर की दूरी 12 कि० मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उग्रवाद प्रभावित महद्वीपुर में पुलिस थाना नहीं रहने से आस-पास के ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में रहती है एवं पुलिस प्रशासन को कार्य करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुरक्षार्थ महद्वीपुर में पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट—'क'-उद्योग विभाग से गन्ना उद्योग विभाग में स्थानांतरित ।

कार्रवाई करना

'ख'-*1186. श्री मदन मोहन तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत नगर परिषद, बेतिया के दुर्गाबाग चौराहा, समाहरणालय चौराहा, लाल बाजार चैराहा, सोआबाबू चैराहा समेत कई स्थानों पर अपराध पर नियंत्रण एवं नगर परिषद् क्षेत्र में दिन के समय भारी वाहनों की परिचालन को लेकर सी० सी० टी० वी० कैमरा वर्ष 2018 में लगाया गया है, जो महज एक साल में खराब हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़े सी० सी० टी० वी० कैमरा चालू कराते हुये बन्द के लिये दोषी के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना कांड की जाँच

*1187. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर थाना कांड संख्या 155/19 में अनुसंधानकर्ता द्वारा निष्पक्ष रूप से अनुसंधान नहीं किया जा रहा तथा गवाही भी नहीं ली जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड का नये सिरे से निष्पक्ष जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक शौचालय व हाट शेड का निर्माण

*1188. श्री कमरुल होदा--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवशेष राशि 1969.97 लाख के विरुद्ध एम० एस० डी० पी० योजनान्तर्गत छतरगाछ बाजार में बस स्टैण्ड, सामुदायिक शौचालय एवं हाट शेड इत्यादि निर्माण का प्रस्ताव जिलास्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 50, दिनांक 21 फरवरी, 2017 द्वारा प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रस्ताव के आलोक में अबतक छतरगाछ में बस. स्टैण्ड, सामुदायिक शौचालय एवं हाट शेड का निर्माण नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छतरगाछ बाजार में बस स्टैण्ड, सामुदायिक शौचालय व हाट शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुशंसाओं को लागू करना

*1189. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या 6267, दिनांक 28 अप्रील, 2015 द्वारा निर्णय लिया गया था कि राज्य आयोग द्वारा स्वीकृत आद्री के प्रतिवेदन की अन्य अनुशंसाओं पर सभी संबंधित विभागों से विचार प्रस्ताव तैयार करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि आजतक उच्च जातियों के लिये राज्य आयोग द्वारा स्वीकृत आद्री के प्रतिवेदन की अन्य अनुसंशाओं को राज्य में लागू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त संकल्प का अनुपालन करते हुये आयोग द्वारा स्वीकृत अनुसंशाओं को राज्य में लागू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ख'-नगर विकास एवं आवास विभाग से गृह विभाग में स्थानांतरित ।

कार्रवाई करने के संबंध में

*1190. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना अन्तर्गत दिनांक 6 सितम्बर, 2019 को रामबाबू सिंह, ग्राम-मयूरवा, प्रखंड सोनबरसा अपनी शिक्षिका पत्नी संगीता कुमारी को मोटर साईकिल से लेकर प्रा० विद्यालय खैराटोला जा रहे थे, जिसे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका कांड संख्या 211/19 सोनबरसा थाना में दर्ज है;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से दिनांक 19 फरवरी, 2020 को संयुक्त सचिव, श्री राकेश कुमार के द्वारा संदर्भ संख्या 000050601200041 से गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक के ई-मेल secy-home-bih@nic.in/dgp-bih@nic.in पर एवं पुन: पत्रांक 5540304, दिनांक 19 जनवरी, 2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को यथोचित कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया था, परन्तु अभी भी कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गयी है;

(3) यदि हाँ, तो आजतक कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

थाना भवन का निर्माण

*1191. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौरा थाना भवन विगत 6 वर्षों से जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को प्रशासनिक कार्य का निष्पादन करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित जर्जर थाना भवन के स्थान पर मॉडल थाना भवन का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक इकाई स्थापित करना

*1192. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा अनुमंडलीय में चावल एवं गेहूँ की खेती एवं उदाकिशुनगंज अनुमंडल में मकई की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार मकई एवं चावल की औद्योगिक इकाई कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लागू करना

*1193. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के संविदाकर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर बिहार सरकार द्वारा संकल्प संख्या 12534, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 जारी किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प को जारी हुये करीब डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी सभी विभागों के संविदाकर्मियों के लिये सरकार ने इसे पूर्णरूपेण लागू नहीं किया है, जिस कारण संविदाकर्मी अनुमान्य लाभ से वंचित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी संविदाकर्मियों को उक्त संकल्प में वर्णित लाभ से लाभान्वित करने हेतु सभी विभागों में नियत समय में इसे लागू करना चाहती है,यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अपराध पर नियंत्रण

*1194. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बरारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुर्सेला, बरारी थाना एवं सेमापुर ओ० पी० के अन्तर्गत लाखों हेक्टेयर का गंगा नदी का दियारा क्षेत्र होने के कारण अपराधियों का शरण स्थली बना हुआ है तथा विगत 3-4 वर्षों से काफी आतंक फैला हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों थानों को दियारा क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपराध पर त्वरित नियंत्रण हेतु नदी थाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1195. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के ग्राम-कोठवारा एवं ग्राम-कोनियाधर्मपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1196. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित गढ़गाँव बलथी कब्रिस्तान अतिसंवेदनशील है और उसकी घेराबंदी अभीतक नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास एवं विद्यालय खोलना

*1197. श्री मोहम्मद नवाज आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भोजपुर जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास बनाने हेतु भूमि चिह्नित अभीतक नहीं किया गया है, इस संबंध में अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार समाहर्ता, आरा को 6 माह पूर्व सूचना दी जा चुकी है, यदि हाँ, तो सरकार अल्पसंख्यकों के हित में उक्त भोजपुर बालिका विद्यालय में छात्रावास एवं विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि गृह बनाना

*1198. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड झारखंड राज्य की सीमा से जुड़ा है और जिला मुख्यालय क्षेत्र से काफी दूरी पर है तथा काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, परन्तु यहाँ ठहरने के लिये सरकारी स्तर का कोई अतिथि गृह नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवीनगर में अतिथि गृह बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा

*1199. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड में स्थित श्रीनगर ओ०पी० को थाना का दर्जा नहीं मिलने के कारण पुलिस प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार श्रीनगर ओ०पी० को थाना का दर्जा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1200. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के पंचायत उचका गाँव के रघुपटी गाँव में अबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1201. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-करगहर, पंचायत-बकसड़ा के ग्राम-बसतलवा एवं करवर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण कब्रिस्तान पशु का चारागाह हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण से संबन्धित

*1202. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत नगर पंचायत में स्थित जोगबनी थाना का चहारदीवारी एवं थाना परिसर में स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के चहारदीवारी का निर्माण एवं तालाब का सौंदर्यीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1203. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के रूसुलपुर तुर्की पंचायत के रूसुलपुर तुर्की ग्राम में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थानाध्यक्ष पर कार्रवाई

*1204. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक, भोजपुर द्वारा कोईलवर थाना कांड संख्या 301/19 में थानाध्यक्ष द्वारा लगाया गया धारा एवं आवेदक के आरोप को गलत पाया गया है, यदि हाँ, तो उक्त केश में दोषित थानाध्यक्ष एवं आवेदक पर अबतक कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था

*1205. श्रीमती रंजु गीता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी नानपुर एवं बोखरा प्रखंड कार्यालयों में अग्निशामक यंत्र नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड कार्यालयों में अग्निशामक यंत्र के अभाव के कारण आगलगी के समय जिला/अनुमंडल मुख्यालय से अग्निशामक यंत्र को आने में काफी समय लगता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड कार्यालयों में अलग-अलग अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1206. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के ग्राम जाफरपुर में स्थित कब्रिस्तान जिसकी लम्बाई 571 फीट तथा चौड़ाई 305 फीट है, की घेराबंदी आजतक नहीं हुई है, जिसके कारण कब्रिस्तान में आवारा पशु का आना-जाना होता है, साथ ही कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना में उत्क्रमित करना

*1207. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत भरतखण्ड ओ०पी० का सृजन गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 10525, दिनांक 16 अक्टूबर, 1986 के द्वारा किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1724, दिनांक 12 जुलाई, 2008 के द्वारा सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग से भरतखण्ड ओ० पी० को थाना में उत्क्रमित करने हेतु अनुरोध किया गया था, लेकिन अभीतक इस क्रम में किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं की गयी है जबकि भरतखण्ड ओ० पी० थाना के लिये सभी शर्तों को पूरा करती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भरतखण्ड ओ० पी० को थाना में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*1208. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले बच्चों को 10,000.00 रुपया दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा इन्टर में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले सिर्फ छात्राओं को ही 15,000.00 रुपये की राशि देने का प्रावधान है, जबकि प्रथम श्रेणी से छात्रों को पास करने पर राशि से वंचित रखा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वंचित छात्रों को भी प्रथम श्रेणी से पास करने पर 15 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*1209. श्रीमती वीणा भारती--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार त्रिवेणीगंज में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई लगाई जाती है तो उल्लेखित नीति के प्रावधान के तहत वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। जिला-सुपौल में कुल 6 इकाइयों को स्टेज-1 क्लियरेन्स दिया गया है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज इकाई की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, कुल 2 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है। दोनों इकाइयाँ कार्यरत हो चुकी हैं।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1210. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं० 25 के मोहल्ला इमली बाजार स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का निर्णय वर्ष 2017-18 में ही जिला प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन उक्त संवेदनशील कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण करना

*1211. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित श्री दीपनारायण साह, लिपिक का स्थानांतरण जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 535, दिनांक 11 जुलाई, 2019 द्वारा अनुमंडल कार्यालय, अररिया में कर दिया गया है, जबकि जोकीहाट प्रखंड कार्यालय में वर्ष 2013 से कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार का प्रावधान है कि एक स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय तक पदाधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थापित नहीं रह सकते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त लिपिक का स्थानांतरण अनुमंडल कार्यालय, अररिया में होने के बावजूद प्रखण्ड कार्यालय, जोकिहाट में पदस्थापित रहने का क्या औचित्य है ?

थाना खोलना

*1212. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी एवं सुपौल जिलान्तर्गत घोघरडीहा लिंक रोड में बराबर अपराध की घटना घटती रहती है, घोघरडीहा थाना से 10 किलोमीटर अधिक दूरी होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या नियंत्रित करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार परसा बसुआरी रेल हॉल्ट के बगल में थाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्राम गृह का निर्माण

*1213. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज अनुमंडल में अनुमंडल स्तर के कार्यालय है, किन्तु माननीय सांसद, माननीय विधायक या अन्य जन-प्रतिनिधियों के लिये ठहरने की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है, जबकि जिला मुख्यालय से अनुमंडल मुख्यालय की दूरी 40 किलोमीटर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में विश्राम गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1214. श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी--क्या मंत्री, जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड एवं अलीगंज प्रखंड में सूचना भवन नहीं होने के कारण सरकार की योजनाएँ उक्त प्रखण्ड के आमजनता को सुलभ नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में सूचना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । सूचना भवन निर्माण की योजना जिलों में है, प्रखंड में इस प्रकार की सरकार की अभी कोई योजना नहीं है। जमुई जिला मुख्यालय में सूचना भवन कार्य कर रहा है।

अनुदान राशि देना

*1215. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया थाना कांड संख्या 82/2019 में हत्या कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप-पत्र संख्या 146/19, दिनांक 20 मई, 2019 को समर्पित किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक, बेतिया द्वारा आरोप-पत्र प्रतिवेदन के आधार पर मृतक के परिजनों को पाँच लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन आजतक अनुग्रह राशि नहीं मिलने का क्या औचित्य है ?

पुलिस पोस्ट की स्थापना

*1216. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड सं० एक (1) रिफ्यूजी कॉलोनी कसवा विधान सभा के बॉडर पर स्थित है तथा यहाँ से टॉप थाना मधुबनी काफी दूरी पर स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मोहल्ले सीमावर्ती क्षेत्र में होने तथा थाना से दूरी अधिक होने के कारण अपराधी हमेशा यहाँ डकैती, लूट, बमबाजी की घटना को अंजाम देकर आसानी से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्णियाँ के रिफ्यूजी कॉलोनी के आस-पास एक पुलिस पोस्ट की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शहीद गेट का निर्माण

*1217. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम-देव टोला निवासी रमेश रंजन जो श्रीनगर में सी0 आर0 पी0 एफ0 की 73वीं बटालियन में कार्यरत थे, उन्होंने दिनांक 5 फरवरी, 2020 को तीन आतंकवादियों को मारकर श्रीनगर में शहीद हो गये;

(2) क्या यह बात सही है कि शहीद रमेश रंजन ने तीन आतंकवादियों को मारकर वीरता एवं साहस का परिचय देते हुए देश का नाम रौशन किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन0 एच0 30 देव टोला से भटौली जाने वाली सड़क के प्रारंभ में शहीद रमेश रंजन के नाम पर शहीद गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट खोलना

*1218. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत अलीगंज प्रखंड के अलीगंत में पुलिस पिकेट नहीं है, जिसके कारण चोरी, डकैती सहित आपराधिक घटनाएँ घटित होती रहती हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि अलीगंज बाजार एवं चन्ददीप थाना की दूरी 15 कि0 मी0 होने के कारण पुलिस प्रशासन खंड (1) में वर्णित घटनाओं को समय पर नहीं रोक पा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अलीगंज में पुलिस पिकेट कबतक खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1219. श्री मुद्रिका प्रसाद राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखण्ड स्थित ग्राम-मोहुली में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं रहने से स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1220. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत बछारपुर पंचायत के ग्राम-बछारपुर में कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान से सटा हुआ भी श्मशान घाट है जिसकी चहारदीवारी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान एवं शमशान घाट को जनहित में चहारदीवारी निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*1221. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर मुख्यालय के मुख्य पथ पर बराबर जाम की स्थिति बनी रहने से आम लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कल्याणपुर में स्थायी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कर जाम से आम लोगों को कबतक निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 की स्वीकृति

*1222. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा शहर के शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी में पिछले 5 वर्ष पूर्व सरकार ने ओ0 पी0 खोलने की स्वीकृति दी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वीकृति के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभीतक उक्त ओ0 पी0 की स्थापना नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त ओ0 पी0 की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग की स्थापना

*1223. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखंड के अमझोर में भारत सरकार के भारतीय औद्योगिक विकास निगम बैंक द्वारा सन् 1960 में अबरख एवं गंधक फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, लेकिन उक्त फैक्ट्री को सन् 2010 में बंद कर दिया गया तथा उसकी सैकड़ों एकड़ भूमि को औने-पौने दाम में श्री सत्य नारायण झुनझुन वाला एवं श्री विनोद जायसवाल व्यापारी को सशर्त बेचा गया कि उस स्थान पर नये उद्योग की स्थापना निजी तौर पर की जाएगी, किन्तु उद्योग की स्थापना किए बिना वर्तमान में करोड़ों रुपये का स्क्रैप और पुरानी मशीनें बेची जा रही हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर निजी व्यापारी को दी गई जमीन का एकरारनामा रद्द कर नये उद्योग की स्थापना पुनः कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1224. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अंतर्गत बलीगाँव पंचायत के ग्राम-लालगंज में कब्रिस्तान अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के फलस्वरूप असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर में वृद्धि

*1225. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पेराई सत्र 2017-18 से अभीतक के तीन वर्षों में प्रीमियम, सामान्य एवं निम्न भेराइटी के गन्ने का मूल्य क्रमश: 310, 290 एवं 265 रुपये की दर पर निर्धारित है एवं आजतक दर में वृद्धि नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में गन्ना के उक्त किस्म के मूल्य की वृद्धि कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हमलावरों पर कार्रवाई

*1226. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--दिनांक 12 फरवरी, 2020 को प्रकाशित समाचार-पत्र शीर्षक ''कन्हैया कॉनभे अटैक अगेन'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, कन्हैया कुमार द्वारा जन-गण-मन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर महति सभा को संबोधित कर उन्हें राज्य के समक्ष उपस्थित ज्वलंत मुद्दों के बारे में वस्तुस्थिति की जानकारी दी जा रही है;

(2). क्या यह बात सही है कि सभा करने के क्रम में राज्य के विभिन्न भागों में उनके काफिले पर अवांछित तत्वों द्वारा हमला किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हमलावरों पर कार्रवाई करते हुये कन्हैया कुमार की सुरक्षा के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

अतिथि गृह का निर्माण

*1227. श्री जफर आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ प्रखंड में अतिथि गृह नहीं है जिसके कारण अतिथियों को ठहरने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में अतिथि गृह का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमणमुक्त कराना

*1228. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत नावकोठी प्रखंड के विष्णुपुर पंचायत के खतियानी कब्रिस्तान खेसरा 857, रकबा 0-8-9-0 (आठ कट्ठा नौ धूर) तथा खेसरा 848/1772, रकबा 1-10-5-0 (एक बिगहा 10 कट्ठा पाँच धूर) जमीन का अधिकांश भाग अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1229. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत सढवाड़ा ग्राम में कब्रिस्तान है, जिसका खाता संख्या 216, खेसरा 322, 175, रकबा 2 एकड़ 60 डी० है एवं बरिऔल कब्रिस्तान जिसका खाता संख्या 923, खेसरा 2361, 2364 रकबा 3 एकड़ 45 डी० है, की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की जमीन की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जूट मिल का निर्माण

*1230. श्री कमरूल होदा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2003 में किशनगंज जिला के चकला पंचायत अन्तर्गत सीमलबाड़ी ग्राम में जूट मिल की आधारशीला रखी गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि जूट मिल की आधारशीला रखे जाने के बाद से अबतक फण्ड के अभाव में उक्त स्थान पर जूट मिल के निर्माण का कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है जिस कारण जिला के जूट उत्पादक किसान परेशान हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित जूट मिल को फंड आवंटन कर उसका निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अपराधीकर्मियों की गिरफ्तारी

*1231. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के जामो बाजार थाना में महादलित उत्पीड़न का प्राथमिकी कांड संख्या 220/19 दर्ज किया गया है, लेकिन आजतक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1232. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी में दूबे बगीचा कब्रिस्तान, इंदिरा नगर एवं लगन तकिया कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग केन्द्र खोलना

*1233. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था/प्रशासकीय स्वरूप में सिर्फ जिला स्तर पर ही जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के सभी उद्यमियों को जानकारी सहित अन्य कार्यों में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रखंड तथा अनुमंडल स्तर पर प्रखंड उद्योग केन्द्र तथा अनुमंडल उद्योग केन्द्र कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1234. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बेगूसराय अंचल अन्तर्गत सांख पंचायत स्थित सांख खुर्द कब्रिस्तान जिसका खाता सं० 610, 101, खेसरा 221, 245, रकबा लगभग 2 कट्ठा 13 धूर है की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*1235. श्री राम विलाश पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखण्ड के शिवनारायणपुर थाना तथा पीरपैंती प्रखण्ड मे एकचारी थाना अति संवेदनशील है तथा थाना भवन जर्जर होने के कारण पुलिस बल को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थानों के भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना में भवन निर्माण

*1236. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत चकिया थाना में भवन का अभाव है, जिससे थाना के संचालन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना के लिये मॉडल थाना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*1237. डॉ० राजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के नारायणपुर के पास पुलिस चौकी नहीं होने के कारण आये दिन चोरी, डकैती सहित अन्य आपराधिक घटनायें होती हैं, जबकि कल्याणपुर थाना, केसरिया थाना, चकिया थाना की दूरी नारायणपुर से 20 कि०मी० से अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नारायणपुर के पास पुलिस चौकी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1238. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के० नगर प्रखण्ड अधीन रहुआ पंचायत के चकला कब्रिस्तान की घेराबंदी नही हुई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1239. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के नुआव प्रखण्ड अन्तर्गत कोटा पंचायत के ग्राम-कोटा एवं पंजरांव पंचायत के छाता बराढ़ी में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1240. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह --क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत नवीनगर के खरौन्धा एवं नवीनगर प्रखंड के बड़ेम कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है ?

स्थापना कराना

*1241. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखण्ड के रीगा चीनी मिल प्रक्षेत्र में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना नहीं होने के कारण गन्ना किसान जानकारी के अभाव में गन्ना फसल का संरक्षण नहीं कर पाते हैं जिससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार रीगा चीनी मिल प्रक्षेत्र में एक गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पत्र का निष्पादन

*1242. डॉ० शमीम अहमद--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चैलाहाँ (NH-28) से रामगढ़वा तक सड़क के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-प्रा०11/नाबार्ड (प्राक्कलन)-06/02/2019 द्वारा 93 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग में भेजा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उक्त विभाग में सड़क निर्माण से संबंधित पत्र लंबित पड़ा हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विभाग में लंबित पड़े पत्र को निष्पादित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न के संबंध में स्थिति यह है कि प्रश्न का क्रमांक-1 में उल्लेखित पत्रांक-प्रा०11/नाबार्ड (प्राक्कलन)-06/02/2019 वित्त विभाग को प्राप्त नहीं है। अपितु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०11/नाबार्ड (विविध)-06/33/2018-5373 (S), दिनांक 7 जून, 2019 द्वारा RIDF-XXV के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति हुआ था । इस पथ में पूर्वी चम्पारण जिला का मोतिहारी पथ प्रमंडल के चैलाहाँ से रामगढ़वा (बेला नहर एन०एच०-28) भाया गम्हरिया, नकरदेई, करमवा बाजार (रघुनाथपुर) अमवावृत, श्रीखण्डी होते हुये पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 93.2514 करोड़ रु० की राशि प्राक्कलित है ।

(2) सड़क निर्माण से संबंधित पथ निर्माण विभाग के इस परियोजना प्रस्ताव को वित्त विभागीय सहमति के साथ ऋण स्वीकृति हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 589, दिनांक 18 जून, 2019 द्वारा नाबार्ड, पटना को भेजा गया । नाबार्ड के पत्रांक 2996, दिनांक 28 जनवरी, 2020 द्वारा उक्त परियोजना को ऋण की स्वीकृति संसूचित है । उक्त के आलोक में पथ निर्माण विभाग को वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 199, दिनांक 5 फरवरी, 2020 निर्गत है ।

(3) प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त कंडिका (1) एवं कंडिका (2) में निहित है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1243. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के बक्सामा पंचायत के सरमस्तपुर, झिटकाही के थाना कटहारा के थाना नं० 79 में खाता नं० 350, खेसरा नं० 1539, 1540 एवं खाता नं० 346 खेसरा नं० 1543 में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वीकृति प्रदान करना

*1244. श्री फैयाज अहमद--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम की निदेशक परिषद् द्वारा दिनांक 28 जून, 2019 की हुयी बैठक में निगम के कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति षष्टम केन्द्रीय वेतनमान लागू करने हेतु लिये गये निर्णय के अनुमोदन पत्रांक प्र०का०/H.O. नं० 413, दिनांक 15 जुलाई, 2019 उद्योग विभाग को भेजे जाने के बावजूद अभीतक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

जाम की समस्या से निजात

*1245. श्री (मो०) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्ड के बहादुरगंज सड़क में महानन्दा नदी पुल पर जाम रहने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पुल के पास जाम की समस्या से निजात पाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आई०टी० मैनेजर का नियोजन

*1246. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (बी०पी०एस०एम०) द्वारा नवम्बर, 2017 में 150 चयनित आई०टी० मैनेजर अभ्यर्थियों के पैनल में से दो वर्षों में मात्र 36 अभ्यर्थियों का ही नियोजन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बि०प्र०सु०मि०सो०/स्थापना 39/2016/1339, दिनांक 24 जुलाई, 2019 के द्वारा उक्त पैनल को अगले आदेश तक पुनर्जीवित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पैनल में से नियोजन हेतु बचे 114 अभ्यर्थियों को कबतक नियोजित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थानों को नेटवर्क से जोड़ना

*1247. श्री ललित कुमार यादव--दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 6 जनवरी, 2020 को प्रकाशित शीर्षक ''150 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा पड़ा सी०सी०एन०एस०'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अपराधियों और अपराध पर नजर रखने के साथ ही अनुसंधान में सहयोग के लिये सी०सी०टी०एन०एस० प्रोजेक्ट की शुरूआत वर्ष 2014 में 150 करोड़ रुपये खर्च कर पूरा करना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय ही कर रही है, जबकि राज्य के 1064 थानों में से 600 थानों में लगे कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम भी पूरा किया गया है तथा शेष थानों को जोड़ने का कार्य अभी लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष बचे थानों को कम्प्यूटर नेटवर्क से कबतक जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपराधियों को गिरफ्तार

*1248. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार नगर थाना कांड सं० 691/2019 में अपराधियों द्वारा दुकानदार एवं ग्राहक को गोली मारी गयी थी, लेकिन आजतक उक्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कांड के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1249. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत दरिमा ग्राम में कब्रिस्तान है, जिसका खाता संख्या 775, खेसरा 3255, रकबा 40डी० है एवं दिधियार कब्रिस्तान की जिसका खाता संख्या 390, खेसरा 742, रकबा 2 एकड़ 19डी० है, की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की जमीन का घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1250. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अन्तर्गत गोदाईपट्टी पंचायत के सैदपुर कब्रिस्तान एवं नरसारा उत्तरी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पायी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबदी नहीं होने से जंगली सुअर द्वारा कब्र को क्षति पहुँचाया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*1251. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज शहर के कुतुबगंज में अवस्थित अंजुमन इसलामिया वक्फ नं० 1257 पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन निर्माण तथा कोचाधामन प्रखण्ड के मोजाबाड़ी, डेरामारी में अवस्थित अंजुमन इसलामिया वक्फ नं० 1257 पर प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की जमीन के आँशिक भाग को अतिक्रमित कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वक्फ भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*1252. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा थाना भवन विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को प्रशासनिक कार्य का निष्पादन करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित थाना भवन के स्थान पर मॉडल थाना भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करने के संबंध में

*1253. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला में पिछले साल में स्वाभिमान बटालियन की तरह थरूहट अनुसूचित जन-जाति की लड़कियों की बहाली नहीं ली गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जल-जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत चम्पापुर की सभा में स्वाभिमान बटालियन की तरह ही थरूहट अनुसूचित जन-जाति की लड़कियों की भी बहाली का अश्वासन नवम्बर, 2019 में दिये थे, लेकिन आजतक उस बटालियन का गठन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार थरूहट अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये उक्त बहाली की प्रक्रिया को पूरा कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नौकरी देना

*1254. श्री राजीव नन्दन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के थाना गुरारू में कार्यरत चौकीदार रामवृक्ष दुसाध की मृत्यु सेवा काल में दिनांक 12 अप्रील, 2006 को हो गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, गया के ज्ञापांक 1064सा0, दिनांक 8 सितम्बर, 2008 द्वारा उप-समाहर्ता, स्थापना, गया को अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार के पुत्र श्री गणेश पासवान की चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु पत्र लिखा गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री गणेश पासवान को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेवा शुरू करना

*1255. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के भभुआ में हवाई अड्डा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण रोहतास एवं कैमूर जिला सहित अन्य जिलों के आम जनता को हवाई यात्रा का लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त हवाई अड्डा के नये सिरे से निर्माण कर हवाई सेवा शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*1256. श्री शत्रुधन तिवारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला में आम एवं लीची का उत्पादन बड़े पैमाने पर होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सारण जिला के मढ़ौरा स्थित बंद चीनी मिल की भूमि पर आम एवं लीची का प्रसंस्करण उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुलाई की व्यवस्था

*1257. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला गन्ना की खेती के लिये सुरक्षित क्षेत्र घोषित है जिसके लिये किसानों को हसनपुर सुगर मिल के द्वारा मानसी, महेशखूँट और बदला रेलवे परिसर में धर्मकाँटा सहित रेलवे बॉगी किसानों को वर्षों से उपलब्ध किया जाता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि हसनपुर सुगर मिल के द्वारा जिले के सभी मापी धर्मकाँटा को भी हटा लिया गया है जिससे किसानों को गन्ना दुलाई एवं अन्य मद में अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुन: खगड़िया जिला के किसानों को गन्ना खेती हेतु महेशखूँट, मानसी और बदला रेलवे परिसर में धर्मकाँटा और दुलाई की व्यवस्था बहाल करने का विचार रखी है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में हसनपुर-मानसी रेलखंड छोटी लाईन होने के कारण गन्ना दुलाई मानसी, महेशखूँट एवं बदला रेलवे परिसर में रेलवे वैगन से होती थी । वर्तमान में बड़ी लाईन हो जाने के कारण रेलवे वैगन से गन्ना दुलाई कार्य संभव नहीं है । क्योंकि चीनी मिल परिसर तक बड़ी लाईन नहीं है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1627, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 द्वारा खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के अन्तर्गत सोनिहार क्रय केन्द्र के परिचालन का आदेश दिया गया है । वहाँ जिले के किसानों को ईख क्रय की सुविधा दी गई है । इस क्रय केन्द्र पर 219 किसानों से 6,740 क्विंटल एवं मिल गेट पर 566 किसानों का 1,57,654 क्विंटल गन्ना क्रय किया गया है । खगड़िया जिले में किसानों को हसनपुर चीनी मिल में सीधे मिल गेट पर गन्ना क्रय करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है ।

(3) उपरोक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

हस्तकरघा उद्योग को चालू कराना

*1258. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड में विगत 20 वर्ष पहले हस्तकरघा खादी उद्योग एवं खादी ग्राम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ बेरोजगारों को खादी वस्त्र उत्पादन के साथ प्रशिक्षण का कार्य चलाने के लिये अनुदान दिया जाता था, जिसे बन्द कर दिये जाने पर वहाँ के बेरोजगार युवक-युवतियों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़े उक्त हस्तकरघा उद्योग को पुन: चालू कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भाषा की मान्यता

*1259. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अँगिका भाषा भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ, सहरसा जिला सहित अन्य जिलों में बोली जा रही है, जिनकी संख्या 3 से 4 करोड़ है, लेकिन आजतक बिहार लोक सेवा आयोग एवं राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में अँगिका भाषा में परीक्षा देने की मान्यता प्रदान नहीं की गई है, जबकि झारखंड राज्य में अँगिका भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता मिली चुकी है, साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा में परीक्षा देने की मान्यताएँ प्राप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार राज्य के परीक्षाओं में अँगिका भाषा की मान्यता देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1260. श्री राम विलाश पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के खानपुर एवं मेहरपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों को संलग्न करना

*1261. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की दृष्टि से प्रत्येक जिला में निगरानी टीमें गठित की जा रही हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त टीमों में जिला के ही वरीय पदाधिकारियों को रखने का प्रावधान किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्थानीय पदाधिकारी से गठित टीमों के द्वारा स्थानीय होने के कारण भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता संभव नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त टीमों में अलग 2 जिले से पदाधिकारियों को संलग्न करने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1262. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के सिसोना गाँव में स्थित बड़ी दिग्घी कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हुई है, जिसके कारण कब्रिस्तान चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1263. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2020 को प्रकाशित शीर्षक ''फतुहा के दारोगा 11 साल पहले रिटायर पर मालखाना का प्रभार अब भी उनके पास, क्योंकि कोई नहीं ले रहा चार्ज'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा थाना के दारोगा अमरनाथ तिवारी के 11 साल पूर्व सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी मालखाना की चाभी अभीतक उन्हीं के पास है, जबकि इस अवधि में फतुहा थाने में दस थानेदार आये और गये लेकिन किसी ने अमरनाथ तिवारी से मालखाना का प्रभार नहीं लिया, यदि हाँ, तो 11 सालों तक मालखाना का प्रभार सेवानिवृत्ति के बाद भी श्री तिवारी के पास रहने का क्या औचित्य है इसके लिय सरकार दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1264. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत आवापुर उत्तरी पंचायत के ग्राम-आवापुर जो अधवारा नदी से सटा हुआ है, के कब्रिस्तान का 10 वर्ष पूर्व में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 में आई अधवारा नदी के भीषण बाढ़ के पानी के चलते कब्रिस्तान की चहारदीवारी चारों तरफ से ध्वस्त हो गया है, फलस्वरूप उक्त कब्रिस्तान जानवरों के लिये चारागाह बन चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की पुनः घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास बनाना

'ग'-*1265. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मॉडल हाई स्कूल प्रांगण में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने हेतु सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के बावजूद निविदा नहीं निकाला गया है, जिस कारण उक्त महत्वाकांक्षी योजना लम्बे समय से लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक निविदा निकालने एवं निविदा प्रकाशित करने में विलंब के लिये दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एस० सी०/ एस० टी० थाना खोलना

*1266. श्री शिवचंद्र राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महुआ एवं महनार अनुमंडल में एस० सी०/ एस० टी० थाना नहीं रहने के कारण एस० सी०/ एस० टी० समुदाय के पीड़ित परिवार को न्याय के लिये इधर-उधर भटकना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार महुआ एवं महनार अनुमंडल में एस०सी०/एस०टी० थाना कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना :
दिनांक 16 मार्च, 2020 (ई०)।

नोट—'ग'-शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में स्थानान्तरित ।

बि०स०मु० 167 (एल०ए०), 2019-20 डी०टी०पी०-550